न्यायालय – श्रीमती तनु श्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद,
जिला धमतरी (छ0ग0)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1587/2022
संस्थित दिनांक 24/12/2022
अपराध क्रमांक 755/2022
आरक्षी केन्द्र: कुरूद

नेशनल लोक–अदालत की तिथि 21/09/2024

1.	संबंधित न्यायालय का नाम	:–	श्रीमती तनु श्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरूद, जिला धमतरी (छ0ग0)
2.	प्रकरण क्रमांक	:–	1587/2022
3.	पक्षकारों का नाम	:–	शा0 वि0 जितेन्द्र कुमार बघेल व अन्य

अधिनिर्णय/आदेश
(आज दिनांक 21/09/2024 को घोषित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:– प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34(दो बार), 506(भाग दो) भा0 दं0 वि0 के तहत आरोप विरचित किया गया है।

प्रार्थी/आहतगण श्रीमती सुशीला बाई सतनामी व चरण दास की ओर से अभियुक्तगण के साथ राजीनामा करने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1)(2) को दिनांक 11/09/2024 को पेश किया गया। प्रार्थी/आहतगण की पहचान पुलिस बयान में चस्पा किए गए फोटो के आधार पर की गयी है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34(दो बार), 506(भाग दो) भा0 दं0 वि0 के तहत् प्रकरण विचाराधीन है, धारा 294, 323/34(दो बार), 506(भाग दो) भा0 दं0 वि0 का अपराध शमनीय प्रकृति का है। प्रार्थी/आहतगण श्रीमती सुशीला बाई सतनामी व चरण दास ने अभियुक्तगण के साथ स्वेच्छया बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के राजीनामा करना व्यक्त किया है प्रार्थी/आहतगण राजीनामा करने में सक्षम है। अतः राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार बघेल व श्रीमती बसंती बघेल को धारा 294, 323/34(दो बार), 506(भाग दो) भा0 दं0 वि0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस के लकड़ी का डण्डा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत समस्त जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

–सही–

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी	हस्ताक्षर सदस्य	हस्ताक्षर सदस्य